2025:CGHC:40113

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सिविल क्रमांक 4245/2025

XYZ

...याचिकाकर्ता (गण)

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः सचिव, गृह मंत्रालय (पुलिस) विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2– पुलिस अधीक्षक, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

3– थाना प्रभारी, थाना–सरस्वतीनगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

4– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : सुश्री अंजलि प्रधान, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी–राज्य की ओर से : सुश्री उपासना मेहता, उप–शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा

बोर्ड पर आदेश

11.08.2025

1. अभियुक्त द्वारा किए गए बलपूर्वक लैंगिक संबंध/बलात्संग की अवयस्क पीड़िता, थाना सरस्वतीनगर, जिला रायपुर (छ.ग.) में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 164/2025 में, ने अपने नैसर्गिक अभिभावक के माध्यम से यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रस्तुत की हैः–

> "10.1 यह कि माननीय न्यायालय कृपया एक उचित रिट जारी करे, जिसमें याचिकाकर्ता के पक्ष में उसके गर्भ के समापन हेतु अनुमति प्रदान करें, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्संग के कारण हुई है।

10.2 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया एक उचित रिट जारी करे, जिसमें उत्तरवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के गर्भ की समाप्ति हेतु रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को भेजने हेतु निर्देशित किया जाए।

10.3 यह कि कोई भी अन्य अनुतोष/आदेश जो प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत हो, जिसमें याचिका के वाद –व्यय का अधिनिर्णय भी शामिल हो, प्रदान किया जाए।"

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि याचिकाकर्ता, थाना सरस्वतीनगर, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 164/2025 के अभियुक्त द्वारा उसके साथ किए गए बलपूर्वक लैंगिक संभोग की पीड़िता है। उक्त बलपूर्वक लैंगिक संभोग के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता/पीड़िता गर्भवती हो गई है, जिसे वह समाप्त कराना चाहती है, क्योंकि यह गर्भ उसे मानसिक पीड़ा पहुँचा रही है और वह ऐसे व्यक्ति से जन्म लेने वाले संतान को जन्म नहीं देना चाहती, जिसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे अपनी वासनापूर्ति का शिकार बनाया तथा उसे समाज के समक्ष अपमान और लज्जा का सामना करने के लिए विवश किया। याचिकाकर्ता अवयस्क होने के कारण यदि किसी भी कारणवश उसे संतान को जन्म देना पड़े तो इसका उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः इसी कारण से गर्भावस्था के समापन की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दिनाँक 08.08.2025 को जब यह प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु आया, तब इस न्यायालय ने सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, रायपुर को निर्देशित किया कि वे याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता का परीक्षण चिकित्सकों के दल द्वारा किया गया और दिनांक 09.08.2025 को संबंधित चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता की गर्भावस्था की अवधि लगभग 32–34 सप्ताह पाई गई है। चिकित्सकों ने अभिमत दिया है कि गर्भसमापन प्राकृतिक प्रसव की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण होगा, अतः उन्होंने गर्भावस्था के समापन से इंकार किया है।

4. मैंने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना है तथा अभिलेख में प्रस्तुत दस्तावेज़ों का परिशीलन किया है।

5. गर्भावस्था के समापन को गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियम संचालित करते हैं। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम की धारा 3 में उन परिस्थितियों का उल्लेख है, जिनमें रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायियों द्वारा गर्भावस्था का समापन किया जा सकता है। एमपीटी अधिनियम की धारा 3 यह प्रावधान करती है कि जब गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह के भीतर

हो, तब यदि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी सद्भावनापूर्वक इस अभिमत पर पहुँचते हैं कि गर्भावस्था को जारी रखना गर्भवती स्त्री के जीवन के लिए जोखिमपूर्ण होगा या उसके शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुँचा सकता है, या गर्भ में पल रहे शिशु को जोखिम है अथवा उसके अप्रसामान्यता से ग्रसित होने की संभावना है, तो गर्भावस्था का समापन किया जा सकता है।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम,1971 (एतस्मिन पश्चात जिसे "एमपीटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 3 निम्नानुसार है:–

"3. गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायियों द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है– (1) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई गर्भ किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार समाप्त किया जाए तो वह चिकित्सा–व्यवसायी उस संहिता के अधीन या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी अपराध का दोषी नहीं होगा।

[(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, गर्भ का समापन किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा वहां किया जा सकेगा

(क) जहां गर्भवस्था की समयावधि बीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की: या

(ख) ऐसे प्रवर्ग की स्त्री की दशा में, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, जहां गर्भावस्था की समयावधि बीस सप्ताह से अधिक है किंतु चौबीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि दो से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की,

(i) गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती स्त्री के जीवन को जोखिम या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति अंतर्वलित होगी; या

(ii) इस बात का सारवान जोखिम है कि यदि बालक जन्म लेता तो वह किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यता से ग्रसित होता ।

स्पष्टीकरण 1 – खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई गर्भावस्था किसी स्त्री या उसके भागीदार द्वारा बालकों की संख्या को समिति करने या गर्भावस्था को रोकने के प्रयोजन के लिए उपयोग की गई किमी युक्ति या पद्धति की असफलता का परिणाम है, तो ऐसी गर्भावस्था द्वारा कारित मनस्ताप, गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित करने की उपधारण करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण 2 – खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी गर्भावस्था का किसी गर्भवती स्त्री द्वारा बलात्संग द्वारा कारिता किए जाने का अभिकथन किया जाता है. तो गर्भावस्था द्वारा कारित मनस्ताप गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित करने की उपधारण करेगा।

(2 क) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिनकी विभिन्न गर्भावधियों के गर्भ के समापन के लिए राय की अपेक्षा है, के सन्नियम वे होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(2 ख) गर्भावस्था की समयावधि से संबंधित उपधारा (2) के उपबंध किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गर्भ के समापन को वहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे समापन को किसी सारवान भूर्ण अप्रसामान्यता के निदान द्वारा आवश्यक बना दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2 ग) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग औध कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाएं, चिकित्सा बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन करेगा।

(2 घ) चिकित्सा बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) स्त्री रोग चिकित्सक;

(ख) बाल चिकित्सक,

(ग) चिकिरण–चिकित्सा विज्ञानी या सोनोलोजिस्ट, और

(घ) ऐसी संख्या में अन्य सदस्य, जो यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाए।।

(3) इस बात का अवधारण करने में कि गर्भ के बने रहने से उपधारा (2) में यथावर्णित स्वास्थ्य की क्षति की जोखिम होगी या नहीं, गर्भवती स्त्री की वास्तविक या उचित रूप से पूर्वानुमेय परिस्थितियों का विचार किया जा सकेगा।

(4) (क) किसी ऐसी स्त्री का गर्भ, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अथवा जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हो, उसके संरक्षक की लिखित सम्मति से ही समाप्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(ख) खण्ड (क) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई गर्भ गर्भवती स्त्री की सम्मति से ही समाप्त किया जाएगा,

6. यदि गर्भावस्था 20 सप्ताह से अधिक किंतु 24 सप्ताह के भीतर है, तो उसे समाप्त किया जा सकता है अगर दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी उसी पैरामीटर पर अपनी अभितम देते हैं। ऐसी स्त्रियों के प्रकरण एमपीटी अधिनियम के नियम 3(2)(ख) के अधीन निर्धारित किए गए हैं।

7. यह भी विचारणीय है कि एमपीटी अधिनियम के धारा3(2)(ख) के अधीन, गर्भावस्था को 20 सप्ताह से अधिक किंतु 24 सप्ताह से अधिक नहीं, तब भी समाप्त किया जा सकता है, जहां किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे समापन को किसी सारवान भूर्ण अप्रसामान्यता के निदान द्वारा आवश्यक बना दिया गया हो। एमपीटी अधिनियम का धारा3(2)(ख)(i) निम्नानुसार है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3(2)(ख)(i) गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती स्त्री के जीवन को जोखिम या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति अंतर्वलित होगी"

8. इसके अतिरिक्त, एमपीटी अधिनियम के धारा 5 के अनुसार, 24 सप्ताह से अधिक समय के गर्भावस्था को समाप्त करने की भी अनुमति तभी दी जा सकती है, जब गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के लिए सद्भावपूर्वक राय बनाई गई हो। एमपीटी अधिनियम के धारा 5 का आवश्यक भाग निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:–

5. धारा 3 और 4 कब लागू न होंगी (1) धारा 4 के उपबन्ध और धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों का उतना भाग जितना गर्भ की अवधि और दो से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की राय के बारे में है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा गर्भ की उस दशा में समापन को लागू नहीं होगा जब उसने सद्भावपूर्वक यह राय कमया की हो कि उस गर्भ का समापन गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के लिए तुरन्त आवश्यक है।

(2) X X X X

(3) X X X X

(4) X X X X"

9. इस अधिनियम के प्रावधान को माननीय उच्चतम न्यायालय ने **X विरुद्ध भारत संघ व एक अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन 1338** में प्रकाशित प्रकरण में स्पष्ट किया गया है,जो निम्नानुसार है:

"21. अतः विधिक स्थिति को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

गर्भ की समयावधि	**समापन हेतु आवश्यकताएँ**
बीस सप्ताह तक	धारा 3 (2) के संदर्भ में एक रजि.चि.व्य. की राय
बीस से चौबीस सप्ताह के मध्य	नियम 3 ख सहपठित धारा 3 (2) के संदर्भ में दो रजि.चि.व्य. की राय।
चौबीस सप्ताह से आगे	यदि गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के लिए समापन आवश्यक है, तो धारा 5 के अनुसार एक रजि.चि.व्य. की राय आवश्यक है।
	यदि सारवान भ्रूण अप्रसामान्यता हैं, तो धारा 3 (2 ख) सहपठित नियम 3 क (a) (i) के अधीन चिकित्सा बोर्ड की मंज़ूरी से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के परिशीलन के साथ–साथ X **विरुद्ध भारत संघ व एक अन्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन 1338** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह सुस्पष्ट है कि 24 सप्ताह से अधिक का गर्भ तभी समाप्त किया जा सकता है जब एमपीटी अधिनियम के धारा 5 के अधीन दी गई आवश्यकताओं का समाधान हों और गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के लिए या धारा3(2)(ख) और धारा 3(2)(क)(i) के अनुसार **सारवान भ्रूण अप्रसामान्यता** के लिए निर्णय लिया गया हो।

11. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिकाकर्ता/पीड़ित की चिकित्सा रिपोर्ट के परिशीलन से ज्ञात होता है कि भ्रूण समय से पहले का है परंतु जीवन–संगत है तथा कोई स्पष्ट जन्मजात असामान्यता नहीं पाई गई है, और गर्भावस्था की इस अवधि में गर्भसमापन करना स्वाभाविक प्रसव की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है; अतः चिकित्सकीय गर्भसमापन के लिए अनुरोध अस्वीकार किया जाता है। चूंकि भ्रूण जीवक्षम और सामान्य है तथा गर्भावस्था को जारी रखने में याचिकाकर्ता को कोई जोखिम नहीं है, इसलिए भ्रूण–हत्या न तो नैतिक होगी और न ही विधिक रूप से अनुमेय।

12. याचिकाकर्ता पहले से ही 32–34 सप्ताह की गर्भवती है और उसका भ्रूण स्वस्थ और जीवित है। याचिकाकर्ता की गर्भावस्था को चिकित्सकीय समापन करने के निर्देश के लिए की गई प्रार्थना को यह न्यायालय दिनाँक 09.08.2025 की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार नहीं कर सकता।

13. तदनुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। तथापि, इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि बलात्संग की अवयस्क पीड़िता को संतान को जन्म देना है, राज्य शासन को निर्देशित किया जाता है कि वह आवश्यक सभी व्यवस्थाएँ करे तथा पीड़िता के अस्पताल में भर्ती होने पर प्रसव हेतु अस्पताल में भर्ती से संबंधित समस्त व्यय का वहन करे। यदि प्रसव के उपरांत अवयस्क एवं उसके माता–पिता संतान को गोद देने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो राज्य शासन इस प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार समस्त आवश्यक कदम उठाए।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**